

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 1879 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 12-11-2021.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद- पिथौरागढ़ अन्तर्गत लछैर से कटियानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.60 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं०. FP/UK/ROAD/41149/2019.

संदर्भ:- भारत सरकार की पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी०/०६/१६४/२०२०/एफ०सी०/२०२२ दिनांक 24.12.2020।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार प्रतिउत्तर जो प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 1706/12-1 दिनांक 25.10.2021 से प्राप्त हुई है कि तीन हॉर्ड कॉपियां बन्द लिफॉफे में प्रेषित की जा रही है। प्रस्ताव ऑन लाईन से प्रेषित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

संलग्न- प्रतिउत्तर की हॉर्ड कॉपी तीन प्रतियों में।

भवदीय

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & 05964- 225234

पत्रांक 1706 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 25 अक्टूबर, 2021।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0-1710/2015 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अंतर्गत लछैर से कटियानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.60 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/41149/2019)

सन्दर्भ - भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, 25 सुभाष रोड के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/164/2020/एफ0सी0/2022, दिनांक 24.12.2020


महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग में पड़ने वाले वन भूमि प्रस्ताव ऑनलाईन प्रपोजल नं0 (FP/UK/ROAD/41149/2019) में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण किया गया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है -

क्र0 सं0	आपत्तियाँ	उत्तर
1	ग्राम सेराड़ के आगे मार्ग प्रस्तावित करने का औचित्य स्पष्ट नहीं है क्योंकि अंतिम दो एक अन्य मुख्य मार्ग के समीप स्थित है। राज्य सरकार इस संबंध में अपना स्पष्ट प्रतिवेदन प्रेषित करे।	मोटर मार्ग की स्वीकृति लछैर से कटियानी तक 12.00 किमी0 लम्बाई में स्वीकृत है। चूंकि 12.00 किमी0 में मार्ग कटियानी से नहीं जुड़ पा रहा है। कटियानी से जोड़ने हेतु अतिरिक्त 2.50किमी0 लं0 की आवश्यकता है, जिस हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा 2.50 किमी0 स्वीकृति हेतु शासन को आगणन प्रेषित किया गया है उक्त मोटर मार्ग से आगे की ओर 2.50किमी0 में कटियानी तक सम्पूर्ण नाप भूमि पड़ती है जिसे स्वीकृति उपरान्त अलग से निर्मित किया जाएगा। अतः प्रस्तुत मार्ग औचित्यपूर्ण है।
2	As per DSS analysis, 3 ha area found in MDF proposed in civil and soyam land. DFO may inspect the area and submit Site Inspection Report or a certificate mentioning if 1000 trees per hectare can be accommodated or not. If not, then the plantation scheme as per guidelines dt. 08.11.2017 may be submitted.	Site Inspection Report of DFO has been uploaded in Form A, Part I. Hard Copy attached with the letter.(1)
3	राज्य शासन द्वारा सी0ए0 योजना में प्रस्तावित राशि को वर्तमान दर के अनुसार पुनरीक्षित किया जाये।	Hard Copy of Plantation scheme attached with this letter.(2)
4	Cost Benefit analysis not found uploaded. State Govt. may upload the C/B analysis online.	Cost Benefit analysis has been uploaded in Form A, Part I. Hard Copy attached with the letter.(3)
5	Documents uploaded in Part II are not properly scanned. State Govt. may ensure that all the documents uploaded online are properly scanned.	Documents uploaded in Part II.

नोट:- उक्त संलग्नक में EDS में अपलोड किया जाना संभव नहीं है। उक्त संलग्नक हार्ड कॉपी के साथ 5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय,


प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।